न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः—डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्याः— 68 / 2026

श्री राजबीर सिंह पुत्र श्री नेकीराम, ग्राम पो0 बहादुरवास, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333704

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा।

——

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

——

आदेश

दिनांक 09.03.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 16.02.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 68 / 2026 पर दिनांक 16.02.2026 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2025 / 415—416 दिनांक 17.02.2026 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा ने द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बिन्दू सं0 1 मे अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना राजस्थान सूचना आयोग द्वारा अपील सं0 207 / 2020 निर्णय दिनांक 30.08.2030 मे पारित निर्णयानुसार सूचना व्यक्तिगत होने से दिया जाना संभव नही है जिसकी सूचना अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 2141 दिनांक 31.12.2025 को दे दी गई है। बिन्दू सं0 2 मे अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना राजस्थान सूचना आयोग द्वारा अपील सं0 207 / 2020 निर्णय दिनांक 30.08.2030 मे पारित निर्णयानुसार सूचना व्यक्तिगत होने से दिया जाना संभव नही है। अपीलार्थी को सूचना से अवगत करा गया है। बिन्दू सं0 3 मे अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना दिनांक 05.10.2021 से 28.042022 तक की अवधि मे कार्यालय मे उपलब्ध रिकार्ड अनुसार पटवार मण्डल बहादुरवास का निरीक्षण किसी भी राजस्व अधिकारी द्वारा नही किया गया है। अपीलार्थी को सूचना से अवगत करा दिया गया है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बिन्दू सं0 1 मे अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना राजस्थान सूचना आयोग द्वारा अपील सं0 207 / 2020 निर्णय दिनांक 30.08.2030 मे पारित निर्णयानुसार सूचना व्यक्तिगत होने से दिया जाना संभव नही है जिसकी सूचना अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 2141 दिनांक 31.12.2025 को दे दी गई है। बिन्दू सं0 2 मे अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना राजस्थान सूचना आयोग द्वारा अपील सं0 207 / 2020 निर्णय दिनांक 30.08.2030 मे पारित निर्णयानुसार सूचना व्यक्तिगत होने से दिया जाना संभव नही है। अपीलार्थी को सूचना से अवगत करा गया है। बिन्दू सं0 3 मे अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना दिनांक 05.10.2021 से 28.042022 तक की अवधि मे कार्यालय मे उपलब्ध रिकार्ड अनुसार पटवार मण्डल बहादुरवास का निरीक्षण किसी भी राजस्व अधिकारी द्वारा नही किया गया है। अपीलार्थी को सूचना से अवगत करा दिया गया है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना व्यक्तिगत है जो देय नही है एवं उक्तानुसार अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 09.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं